



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042026-272188
CG-DL-E-30042026-272188

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 303]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

सं. 06/2026- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 331(अ).— केंद्र सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पातित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13, 18 और 20 के साथ पठित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धाराओं (1), (2) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना को उक्त सारणी के कॉलम (3) की संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित किया जाएगा, यथा:—

सारणी

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना संख्या 31/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 350(अ), दिनांक 29 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।	उक्त अधिसूचना में— (i) जहां कहीं भी “2918 30 90” अंक आते हैं, उनके स्थान पर “2918 30 70, 2918 30 90” प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) जहां कहीं भी “2918 99 90” अंक आते हैं, उनके स्थान पर “2918 99 40, 2918 99 90” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
2.	अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 अक्टूबर, 2021, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 739(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।	उक्त अधिसूचना में, जहां कहीं भी “2924 29 90” अथवा “29242990” अंक आते हैं, उनके स्थान पर “2924 29 91, 2924 29 99” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
3.	अधिसूचना संख्या 12/2022-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अप्रैल, 2022, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 321(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।	उक्त अधिसूचना में— (i) जहां कहीं भी “2924 29 90” अंक आते हैं, उनके स्थान पर “2924 29 91, 2924 29 99” प्रतिस्थापित किए जाएंगे; (ii) जहां कहीं भी “2933 39 90” अंक आते हैं, उनके स्थान पर “2933 39 70, 2933 39 80, 2933 39 91, 2933 39 99” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
4.	अधिसूचना संख्या 23/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 नवंबर, 2024, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 683(अ), दिनांक 4 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।	उक्त अधिसूचना में, जहां कहीं भी “7305 11 29” अंक आते हैं, उनके स्थान पर “7305 11 41, 7305 11 49” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
5.	अधिसूचना संख्या 17/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 जून, 2025, जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 400(अ), दिनांक 19 जून, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।	उक्त अधिसूचना में, जहां कहीं भी “2922 19 90” अंक आते हैं, उनके स्थान पर “2922 19 30, 2922 19 90” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

2. यह अधिसूचना 1 मई, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. 190341/139/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:

1. मूल अधिसूचना संख्या 31/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 29 मई, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 350(अ), दिनांक 29 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 08/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 द्वारा सा.का.नि. संख्या 276(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के माध्यम से किया गया था।
2. मूल अधिसूचना संख्या 60/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 14 अक्टूबर, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 739(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 08/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 द्वारा सा.का.नि. संख्या 276(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के माध्यम से किया गया था।
3. मूल अधिसूचना संख्या 12/2022-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 अप्रैल, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 321(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 08/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 द्वारा सा.का.नि. संख्या 276(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के माध्यम से किया गया था।
4. मूल अधिसूचना संख्या 23/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 04 नवंबर, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 683(अ), दिनांक 04 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।
5. मूल अधिसूचना संख्या 17/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 19 जून, 2025, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 400(अ), दिनांक 19 जून, 2025 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

No. 06/2026-Customs (ADD)

G.S.R. 331(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 13, 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely: -

TABLE

S. No.	Notification number and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Notification No. 31/2021-Customs (ADD) dated the 29 th May, 2021 published in Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 350(E), dated 29 th May, 2021.	In the said notification, (i) for the figures “2918 30 90”, wherever it occurs, the figures “2918 30 70, 2918 30 90” shall be substituted; (ii) for the figures “2918 99 90”, wherever it occurs, the figures “2918 99 40, 2918 99 90” shall be substituted;
2.	Notification No. 60/2021-Customs (ADD) dated the 14 th October, 2021 published in Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 739(E), dated 14 th October, 2021.	In the said notification, for the figures “2924 29 90” or “29242990”, wherever it occurs, the figures “2924 29 91, 2924 29 99” shall be substituted;
3.	Notification No. 12/2022-Customs (ADD) dated the 28 th April, 2022 published in Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 321(E), dated the 28 th April, 2022.	In the said notification, (i) for the figures “2924 29 90”, wherever it occurs, the figures “2924 29 91, 2924 29 99” shall be substituted; (ii) for the figures “2933 39 90”, wherever it occurs, the figures “2933 39 70, 2933 39 80, 2933 39 91, 2933 39 99” shall be substituted;
4.	Notification No. 23/2024-Customs (ADD) dated the 4 th November, 2024 published in Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 683(E), dated 4 th November, 2024.	In the said notification, for the figures “7305 11 29”, wherever it occurs, the figures “7305 11 41, 7305 11 49” shall be substituted;
5.	Notification No. 17/2025-Customs (ADD) dated the 19 th June, 2025 published in Official Gazette <i>vide</i> G.S.R. 400(E), dated 19 th June, 2025.	In the said notification, for the figures “2922 19 90”, wherever it occurs, the figures “2922 19 30, 2922 19 90” shall be substituted;

2. This notification shall come into force from 1st May, 2026.

[F. No. 190341/139/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note:

1. The principal notification No. 31/2021-Customs (ADD), dated the 29th May, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 350(E), dated the 29th May, 2021 and was last amended *vide* notification No. 08/2025-Customs (ADD) dated the 30th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 276(E), dated the 30th April, 2025.
2. The principal notification No. 60/2021-Customs (ADD), dated the 14th October, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 739(E), dated the 14th October, 2021 and was last amended *vide* notification No. 08/2025-Customs (ADD) dated the 30th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 276(E), dated the 30th April, 2025.
3. The principal notification No. 12/2022-Customs (ADD), dated the 28th April, 2022, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 321(E), dated the 28th April, 2022 and was last amended *vide* notification No. 08/2025-Customs (ADD) dated the 30th April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 276(E), dated the 30th April, 2025.

4. The principal notification No. 23/2024-Customs (ADD), dated the 04th November, 2024, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 04th November, 2024.
5. The principal notification No. 17/2025-Customs (ADD), dated the 19th June, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 400(E), dated the 19th June, 2025.